COURT OF ADDITIONAL SESSIONS JUDGE-I, JAMUI

B.P. No. 258/2026
Jhajha P.S. case no. 105/2021
Dheero Yadav VS. State of Bihar

12.05.2026

झाझा थाना कांड संख्या–105/2021, जो भा0द0वि0 की धारा 452, 342, 323, 354ए, 380, 366ए, 506 सपठित धारा 34 से संबंधित है, के अभियुक्त **धीरो यादव,** उम्र लगभग 28 वर्ष पिता–बासुकी यादव, निवासी ग्राम–पैरगाह, थाना–झाझा, जिला–जमुई की ओर से यह नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया।

कांड की सूचिका कुसमा देवी द्वारा थानाध्यक्ष झाझा को दिये गये लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक 10.04.2021 को आधी रात करीब 12:00 बजे वह एवं उसके परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे तभी उसके घर के दरवाजे को कुछ लोग खटखटाते हुए कहने लगे कि दरवाजा जल्दी खोलो वरना जान से मार देंगे। फिर उसने जब दरवाजा खोलकर देखा तो तब कुछ बंदूकधारी हरवे हथियार से लैस होकर बाजबरन घर में घुसे और उसका बाल पकड़कर कहने लगे कि जल्दी अपना सारा जेवर एवं रूपया निकालो वरना अंजाम बुरा होगा। उसके पति संजय यादव ने जब इसका विरोध किया तो वे लोग बंदूक सटाकर उसे एवं उसके पति संजय यादव का हाथ रस्सी से बांध दिया तथा बक्से में रखा पांच लाख रूपया, जिसे जमीन बेचकर उसने रखा था एवं 20 भर चांदी का जेवर निकाल लिया। इस वारदात में वासुकी यादव, **धीरो यादव,** नरेश यादव, विपिन यादव, रामोतार यादव एवं लगभग छः की संख्या में अज्ञात लोग शामिल थे। वे लोग उसके हो हल्ला करने पर उसकी अवयस्क पुत्री को बाजबरन उठाकर स्कार्पियो गाड़ी में बैठाकर ले गये एवं वे लोग कहने लगे अगर किसी के पास गये तो तुम्हारी बच्ची को मार देंगे।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्राप्त करने हेतु पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1509/2025 दाखिल किया गया था, जिसे इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। आवेदक अभियुक्त की ओर से उस एवं इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन में स्वीकार किया गया कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व से झाझा थाना कांड सं0–404/2020 लंबित है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है और उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 15.02.2026 से काराधीन है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित अधारों पर आवेदक अभियुक्त को जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया। अतः इस जमानत आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

मैंने अभिलेख सहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। काण्ड दैनिकी के पैरा 2 एवं 3 में काण्ड की सूचिका कुसमा देवी एवं सूचिका के पति संजय यादव तथा पैरा 7 एवं 8 में पड़ोसी उमा देवी एवं

मंगिया देवी का बयान दर्ज है। सूचिका सहित इन साक्षियों ने प्राथमिकी का समर्थन करते हुए सार रूप से कथन किया है कि दिनांक 10.04.2021 को रात्रि में कुछ लोगों ने काण्ड की सूचिका के घर का दरवाजा खपखटाया तथा दरवाजा खोलने पर हरवे हथियार से लैस होकर कुछ लोग जबरन घुस गये और काण्ड की सूचिका से बोला कि जल्दी अपना सारा जेवर एवं रूपया निकालो वरना अंजाम बुरा होगा। सूचिका के पति ने जब विरोध किया तो सूचिका के पति संजय का हाथ रस्सी से बांध दिया और बक्से में रखा पांच लाख रूपया एवं चांदी का जेवर तथा उसकी अवयस्क पुत्री को लेकर भाग गये। पूरक काण्ड दैनिकी के पैरा 36 से विदित होता है कि गुप्तचर की सूचना के आधार पर कथित अपहृता झाझा रेलवे स्टेशन से बरामद हुई थी। अभिलेख के साथ कथित पीड़िता का द0प्र0स0 की धारा 164 का बयान दर्ज है तथा यह बयान दिनांक 11.07.2024 को दर्ज हुआ तथा उसने अपने बयान में कथन किया है कि वह धीरज से प्रेम करती है। जब उसकी उम्र 18 वर्ष हुई तो उसने दिनांक 21.4.2024 को धीरज से शादी कर ली। यहां मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि यह कथित घटना दिनांक 10.04.2021 की है तथा पीड़िता के बयान के अनुसार जब वह 18 वर्ष की हुई तो उसने दिनांक 21.04.2024 को धीरज से शादी की। स्पष्ट है कि घटना की तिथि को उसकी उम्र 18 वर्ष से काफी कम थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि दं0प्र0सं0 की धारा 164 के बयान में, बयान की तिथि दिनांक 11.07.2024 को (कथित अपहृता ने) अपनी उम्र 18 वर्ष होना कहा है तथा विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने भी उसकी उम्र इस तिथि को 18 वर्ष आकलित की है। इस प्रकार स्वीकृत रूप से घ टना तिथि को कथित अपहृता लगभग 15 वर्ष की थी। सह अभियुक्तों को माननीय उच्च न्यायालय से जमानत प्रदान की गयी है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 15.02.2026 से काराधीन है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा आवेदक अभियुक्त की लम्बी करावधि को ध्यान में रखते हुए, आवेदक अभियुक्त की ओर से दस हजार रूपये के दो प्रतिभू से समर्थित बन्धपत्र समर्पित करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है, **किन्तु जमानत का यह बंधपत्र मामले में आवेदक अभियुक्त विरूद्ध अनुसंधान पूर्ण होने पर स्वीकार होगा।**

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
जमुई।

प्रति अग्रसारित– विद्वान न्यायालय, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम,
जमुई।